



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239236  
CG-DL-E-30092022-239236

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 664]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 746(अ).—केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में निम्नलिखित कतिपय मसौदा नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा, जबसे सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी गई हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in) के माध्यम से भेजा जा सकता है।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... ..संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों के अतिरिक्त होते हुए भी ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में नियम 108 के उप-नियम 1 में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ii) एम्बर लाइट, यदि किसी दिशा संकेतक द्वारा दर्शाई जाती है या हवाई अड्डों, बंदरगाहों, खानों और परियोजना स्थलों जैसे परिसर के भीतर, उक्त परिसर के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर जाएं बगैर परिचालन के लिए वाहन में उपयोग की जाने वाली टॉप लाइट के रूप में या राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्त के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से निर्दिष्ट वाहन में प्रयुक्त टॉप लाइट के रूप में;"

[फा. सं. आरटी-11028/02/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का. नि. \_\_\_\_\_ (अ) दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2022

**G.S.R. 746(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

### DRAFT RULES

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule 1 of rule 108, for the clause (ii), the following shall be substituted:-

“(ii) the amber light, if displayed by any direction indicator or as top light used on vehicle for operating within the premises such as airports, ports, mines and project sites, without going outside the said premises on to public roads or as top light used on a vehicle specifically designated for the purpose of patrolling of National Highways;”

[F. No. RT-11028/02/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. \_\_\_\_\_(E) dated \_\_\_\_\_.